भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4288

दिनांक 20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए अत्यधिक शुल्क

†4288. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए अत्यधिक शुल्क पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए देश के छात्र अन्य देशों में जा रहे हैं, क्योंकि उन देशों में फीस की दर कम है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा देश के चिकित्सा महाविद्यालयों में निर्धन लेकिन मेधावी विद्यार्थियों को दी गई/दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है ताकि वो बिना किसी वित्तीय संकट के अपनी पढ़ाई जारी रख सकें?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): संबंधित राज्य फीस विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार फीस की संरचना एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना में सरकारी/निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में भिन्न-भिन्न होती है।

देश में चिकित्सा शिक्षा को किफ़ायती बनाने के लिए, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम (एनएमसी), 2019 की धारा 10 की उप-धारा (1) के खंड (i) में निजी चिकित्सा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पचास प्रतिशत (50%) सीटों के संबंध में फीस और अन्य सभी शुल्कों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का प्रावधान है जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत शासित हैं। तद्नुसार, एनएमसी ने दिशा-निर्देश तैयार किए हैं और इसे दिनांक 03.02.2022 को जारी किया गया था।

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई है और बाद में एमबीबीएस सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की है। मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2014 से पहले 387 सीटें थी जो अब 102% की वृद्धि के साथ 780 हो गई है। इसके अलावा, एमबीबीएस सीटों में वर्ष 2014 से पहले 51,348 सीटें थी जो अब 130% की वृद्धि के साथ 1,18,137 हो गई है और पीजी सीटों में वर्ष 2014 से पहले 31,185 सीटें थी जो 135% की वृद्धि के साथ अब 73,157 हो गई है।

****